

असाघाररा EXTRAORDINARY



भाग II—सण्ड 3—जप-सण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i),
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] No. 166] नई बिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1988/चैन्न 10, 1910 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1988/CHAIRTA 10, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की नाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप भें रखा का सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंद्रालय

(पत्तन पक्ष)

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1988

सा.का.नि. 414(x): — केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास स्रिधिनियम, 1963 (1963 का 30) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 10 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कान्डला पत्तन के न्यासियों के मंडल में न्यासी नियुक्त

करती है तथा उक्त तालिका में क्रम संख्या 11 से 14 के सामने उल्लिखित स्यक्तियों को उक्त तालिका में न्यासियों के रूप में चुने जाने के लिए प्रधिसूचित करती है।

तालिका

| 1. श्रध्यक्ष | _ |
|---|--|
| 2. उपाध्यक्ष | _ |
| सचिव (पत्तन), पिरिवहन और मत्स्यपालन विभाग, गुजरात सरकार | —-गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 4. निदेशक (डवलपमेंट), ∫जल-भूतल परिवहन मंत्रालय | —जल-भूतल परिवहन मंद्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| डिप्टी कलक्टर, सीमाशस्क, न्यू कांडला | —सीमाशुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| नेवल श्राफिसर इन्थार्ज, ,सौराप्ट्र | —रक्षा सेवाओं—नौसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| क्षेत्रीय श्रधीक्षक, पश्चिमी रेलवे, गांधीधाम | —भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| कार्यपालक निदेशक, तेल समन्वय समिति | —भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 9. श्री ग्ररुण कांत शाह | —पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 10. श्री मनोहर जी. कोतवाल | पत्तन मे लगे श्रमिको का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |
| 11. कैंप्टन देवेन्द्र सिंह | —इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 12. श्री विलीप त्रार. पारीख | —-गुजरात चैम्बर भ्राफ कामसं एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिर्िधित्य करने के लिए । |

- 13, श्री मनफुल चौपड़ा
- --- पंजाब, हरियाणा एण्ड दिल्ली चैम्बर ग्राफ कामसं एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- 14 श्री श्रार एस वन्सन
- ---गाधीधाम चैम्बर भ्राफ कामसं एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- यह श्रिधसूचना 1 अप्रैल, 1988 मे प्रभावी होगी।

[फा.स. पीटी-18011-5/87-पीटी] बी.श्रार. चव्हाण, संयुक्त सचिव

MINISTRU OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1988

G.S.R. 414(E).—In Exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963,) the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 10 in the Table below to be Trustless on the Board of Trustless for the Port of Kandla and notifies the persons mentioned against serial numbers 11 to 14 in the said table as elected to be Trustless on a said table:—

TABLE

- Chairman —
 Dy. Chairman —
 Secretary, Ports, Transport & Representing the Government of Fisheries Department, Government of Gujarat.
 Director (Development), Ministry of Surface Stry of Survace Transport
 Paratty Calleston of Customs

 Representing the Ministry of Surface Transport.
 Representing the Customs Department
- 5. Deputy Collector of Customs, Representing the Customs Department. New Kandla.
- 6. Naval Officer-in-Charge, Representing the Defence Service— Sourashtra. Navy.

| 7. | Area Superintendent Western Railway, Gandhidham | | Representing the Indian Railways, |
|-----|---|---|--|
| 8. | Executive Director Oil Coordination Committee, New Delhi. | _ | Representing the Indian Oil Corporation the Port. |
| 9. | Shri Arunkant Shah | ~ | Representing the Labour employed in the Port. |
| 10. | Shri Manohar G. Kotwal | | Representing the Labour employed in the Port. |
| 11. | Capt. Davinder Singh | | Representating the Indian National Shipowners Association. |
| 12. | Shri Dilip R. Parikh | | Representing the Gujarat Chamber of Commerce and Industry. |
| 13. | Shri Man Paool Chopra | _ | Representing the Punjab, Harryna and Delhi Chamber of Commerce and Industry. |
| 14. | Shri R. S. Busil | - | Representing the Gandhidham Chamber |

2. This aptification shall come into forcee on the 1st April, 1988.

(F. No. PG-18011-5/87-PT] ~ B. R. CHAVAN, Jt. Secy.

of Commurce and Industry.